बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

TWT
Truth Will Triumph

पत्र संख्या 36

पटना
पत्रांक-३६ दिनांक १७-७-२००३

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषयः- श्रीमती सुजाता सिंह, पत्नी स्व० शशि कुमार सिंह, भूतपूर्व प्र०वि० पदाधिकारी, सहार (भोजपुर) को उपादान भविष्य निधि एवं उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान एवं अन्य ~~——~~ स्वीकृत लाभ के भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मैं बिहार प्रशासनिक सेवा के एक ऐसे पदाधिकारी की विधवा के दुखद दास्तान की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ, जिनके पति की हत्या सहार के पदस्थापन काल में सहार (भोजपुर) में ही दिनांक -२८-४-८७ को कर दी गई थी । इस घटना को घटित हुए मात्र १६ (सोलह) वर्ष ही हुए हैं । सरकार ने इन्हें अनुकम्पा पर नौकरी एवं पेंशन देकर ही इतिश्री समझ लिया, लेकिन हत्या उपरांत स्व० सिंह को देय अन्य लाभ जो उनका ~~——~~ सरकार द्वारा स्वीकृत जायज हक है, से आज की तिथि में भी वंचित ~~रखा~~ रखा गया इस संदर्भ में स्व० सिंह की विधवा से प्राप्त आवेदन को मूल रुप में संलग्न कर रहा हूँ । इस आवेदन के साथ इस संदर्भ में इनको एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पूर्व में किये ग पत्राचार की छाया प्रति भी संलग्न है । इससे स्पष्ट होगा कि इन्हें निम्नलिखित भुगतान एवं लाभ देय है :-

(१) उपादान का भुगतान
(२) उपार्जित अवकाश के बदले नगद भुगतान
(३) भविष्य निधि में जमा राशि का अन्तिम भुगतान
४- दो बच्चों की पढ़ाई हेतु स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान ।

आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों में अनुलग्नक सं०-३ के अवलोकन से स्वतः स्पष्ट होगा कि जब मैं इस विभाग में अवर सचिव था तो मेरे ही द्वारा प्रधान महालेखाकार बिहार रांची को सम्बोधित पत्र में यह उल्लिखित है कि " कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा
———————————————

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष

गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

Truth Will Triumph

पत्र संख्या ....

पटना
दिनांक ....

उपादान एवं अनुमान्य उपार्जित अवकाश के भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है । अनुलग्नक-६ में कुछ एन० ओ० सी० महालेखाकार द्वारा भेजने की सूचना दी गई है । उपरोक्त पत्र १९ फरवरी,९६ को भेजे गये थे । एवं एन०ओ० सी०-१६-५-९६ को तिथि में भेजे गये। स्व० सिंह की विधवा को लम्बित दावों के भुगतान सम्बन्धी कार्रवाई मुख्यतः मेरे ही द्वारा संचिका संख्या-८/पी०-१-४०४४/९८८ का० में की गई थी । भवदीय को यह भी स्मरण दिला दूं कि स्व० शशि कुमार सिंह की हत्या के बाद सरकार ने उनके परिवार को पुनर्वासित करने के कई निर्णय भी लिये थे ,जिनमें इनका दो बच्चों की पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति देने का भी निर्णय था । इस संदर्भ में भी अनु०-५ से अवर सचिव मानव संसाधन विकास विभाग को लिखा गया था ।

संलग्न अनुलग्नक-१ के अवलोकन से भविष्य निधि में जमा राशि के भुगतान के संबंध में भी जिला पदाधिकारी,भोजपुर से वर्ष १९९४ में ही आवेदन प्राप्त कर अनुशंसा भेजने का अनुरोध किया गया था ।

महोदय आप उक्त उल्लिखित तथ्यों से निश्चित रुप में शतप्रतिशत सम्मत होंगे कि ऐसे जघन्य हत्या से पीड़ित पदाधिकारी की विधवा को किस तरह अभी तक उसके सर्वथा जायज मांगों से विभाग द्वारा दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बिल्कुल संवेदनहीन होकर विगत (सोलह) वर्षों से वंचित रखा है । धन्यवाद है मेरे स्व० पदाधिकारी की विधवा को कि उसने अभी तक न्यायालय का शरण नहीं लिया है ।

उक्त स्थिति में मैं महोदय का व्यक्तिगत ध्यान इसलिये भी आकृष्ट कर रहा हूं कि सौभाग्य से आवेदिका की मांगों के संदर्भ में विभाग के अवर सचिव के रुप में स्व० सिंह की हत्या के ८-९ वर्ष बाद मुझे कार्रवाई करने का अवसर मिला एवं दुर्भाग्य इस रुप में कि उक्त कार्रवाई का कोई फलाफल, इतने वर्षों बाद भी आवेदिका को नहीं मिला तथा संघ के मेरे ही महासचिव के कार्यकाल में इस समस्या से मैं रुबरु हो सका और यह दास्तान लिखते हुए अनुरोध करने पर मजबूर हुआ ।

(कृ० पृ० उलटें---)

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ, बिहार

वजीन्द्र नारायण सिंह
(डब्लू० एन० सिंह)
अध्यक्ष
गंगाधर लाल दास
(जी० एल० दास)
महासचिव

अध्यक्ष : 2226623 (R)
महासचिव : 2286865 (R)

Truth Will Triumph

पत्र संख्या ....   पटना
दिनांक ....

अनुरोध है कि कृपया स्वयं व्यक्तिगत रुप से इस पत्र में अंकित दावों के संबंध में आवेदिका से प्राप्त मूल आवेदन के साथ संलग्न अनुलग्नकों के अनुसार सभी दावों का भुगतान करा की कृपा करें एवं उपकार का भागी बनें। शायद यह आप ही के कार्यकाल में होना था, इसलिये १६(सोलह) वर्षों से लम्बित रहा।

विश्वासभाजन

ह०/-
(गंगाधर लालदास)
महासचिव

ज्ञाप संख्या- 36   पटना, दिनांक- 17.7.03

प्रतिलिपि- श्रीमती सुजाता सिंह, सहायक शिक्षिका, सीतामढ़ी उच्च विद्यालय, डुमरा जिला सीतामढ़ी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अगर विभाग द्वारा एक महीने के अन्दर भुगतान की कार्रवाई पूर्ण नहीं की जाती है तो न्याय हेतु विमर्शानुसार विधि सम्मत आवश्यक कार्रवाई करें।

17.7.03

(गंगाधर लाल दास)
महासचिव।